न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 319/2023

1. साले मोहम्मद पुत्र ईलमदीन मुसलमान
2. मुसे खां पुत्र ईलमदीन मुसलमान
   निवासीगण देदासरी, तहसील बाप
   जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. जमालदीन पुत्र ईलमदीन मुसलमान
2. सरीफो पत्नी ईलमदीन मुसलमान
   निवासीगण देदासरी, तहसील बाप
   जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
3. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बाप
   जिला फलोदी

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार बाप दिनांक 20 जून 2023 प्रकरण संख्या 1/2022 साले मोहम्मद बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 व 2
रेस्पो. संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 10 सित., 2024

अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार बाप द्वारा प्रकरण संख्या 1/2022 साले मोहम्मद बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 20 जून 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स ने एक प्रार्थनापत्र पेश कर ग्राम देदासरी स्थित आराजी खसरा संख्या 268 रकबा 8.2637 हैक्टेयर, खसरा संख्या 261 रकबा 23.6498 हैक्टेयर , निजामदीन की बस्ती स्थित आाजी खसरा संख्या 335 रकबा 16.9592 हैक्टेयर, खसरा संख्या 338 रकबा 2.1125 हैक्टेयर व ग्राम कुशलाराम की बस्ती स्थित आराजी खसरा संख्या 201 रकबा 2.1772

हैक्टेयर अपने पिता ईलमदीन की खातेदारी भूमि होना जाहिर किया और अपने पिता द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2015 को वसीयतनामा निष्पादित किया जाना, दिनांक 17 जनवरी 2020 को अपने पिता का देहान्त हो जाने पर उक्त वसीयतनामा के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 जून 2023 को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित कर दिया गया। दिनांक 14 फरवरी 2022 को अपीलाण्ट्स द्वारा अपने पक्ष में विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये गये थे, इसके बाद आदेश 1नियम 10 सीपीसी का प्रार्थनापत्र रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिस पर आयन्दा पेशी 2 मार्च 2022 हेतु मुकर्रर की गयी, जिसके बाद सीधे ही पत्रावली 26 अगस्त 2022 को मुकर्रर करते हुए बयानों की पीठासीन अधिकारी द्वारा पुष्टि नहीं किये जाने की आदेशिका लिखी जाकर नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए आगे 22 फरवरी 2023 पेशी दी गयी। दिनांक 24 अप्रेल 2023 की आदेशिका में काटछांट की जाकर निर्णय पारित किया गया है। दिनांक 21 नवम्बर 2015 को वादग्रस्त आराजियात के खातेदारी (अपीलाण्ट्स के पिता) ईलमदीन द्वारा अपीलाण्ट्स के पक्ष में वसीयत की गयी, जो नोटेरी पब्लिक से तस्दीकसुदा है तथा दोनों गवाहान की साक्ष्य विचारण न्यायालय में पेशी की गयी, जिससे उक्त वसीयत पूर्णतया साबित होती है। वादग्रस्त आराजियात ईलमदीन की कयसुदा (स्वार्जित) भूमि है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत एवं समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए मुस्लिम विधि के अनुसार हिस्सों का बंटवारा किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुस्लिम विधि से शासित होते है, और विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम विधि के प्रावधानानुसार ही वादग्रस्त आराजियात में वसीयतग्रहीता (प्राथीगण–अपीलाण्ट्स) व वसीयतकर्ता के अन्य पुत्र व पत्नी (रेस्पो. संख्या 1 व 2) के निहित हिस्से अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजियात अपीलाण्ट्स व रेस्पो. संख्या 1 व 2 के पूर्वज ईलमदीन की खातेदारी भूमि होने, ईलमदीन द्वारा वादग्रस्त आराजियात बाबत वसीयत किये जाने एवं पक्षकारान मुस्लिम विधि से शासित होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वसीयत के

तथ्य को सिद्धः माना है और वसीयत के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम विधि के प्रावधानों के अनुरूप वादग्रस्त आराजियात में वसीयतग्रहीता (प्राथीगण–अपीलाण्ट्स) व वसीयतकर्ता के अन्य पुत्र व पत्नी (रेस्पो. संख्या 1 व 2) के निहित हिस्से अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 जून 2023 पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 जून 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर